

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, खूँटी
(जिला भू-अर्जन शाखा)

पत्रांक:-167(ii)

दिनांक:-16.03.2020

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम नवरिंगा थाना- कर्रा थाना सं० 45 अंचल कर्रा जिला खूँटी** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **हटिया बंडामुण्डा रेलवे लाईन दोहरीकरण परियोजना हेतु Railway के लिए** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम नवरिंगा थाना- कर्रा थाना सं० 45 अंचल कर्रा जिला खूँटी** के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोबेश 2.958 एकड़ यानि 1.19757085 हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

ग्राम नवरिंगा थाना- कर्रा थाना सं० 45 अंचल कर्रा जिला खूँटी का विस्तृत विवरणी

क्र० सं०	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या) उ०,द०,पू०,प०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	57	505	शिवराम सिंह मनमोहन सिंह पिता- दुर्गन सिंह	टाड़ दो	0.115	अधीन सिंह पिता- धीरन सिंह	उ०-509 द०-505 पु०-505 प०-504
2	1	421	हरिनन्द सिंह	टाड़ तीन	0.064	विजय सिंह पिता-स्व० केशव सिंह वो राजेन्द्र सिंह पिता- स्व० सुरेन्द्र सिंह वो उपेन्द्र सिंह पिता- स्व० त्रिवेणी सिंह	उ०-421 द०-421 पु०-509 प०-420
3	62	420	सिद्धनाथ सिंह	टाड़ दो	0.088	1. अमर सिंह पिता- जोहन सिंह वो मथुरा सिंह गाजी सिंह पिता- विजय स्व. सिंह साकिन डेहकेला वो धनेश्वर सिंह पिता- धुरुधर सिंह मीना देवी पति- स्व० अशोक सिंह	उ०-420 द०-420 पु०-421 प०-518
4	60	517	सिद्धनाथ सिंह	टाड़ दो	0.148	दिलीप सिंह वल्द वो दिलकेश्वर सिंह वल्द स्व० जीतवाहन सिंह मधु सिंह वल्द स्व० बुधनाथ सिंह	उ०-517 द०-517 पु०-512 प०-520
5	1	520	हरिनन्द सिंह	बाग आम टाँड दो	0.248	रविन्द्र कुमार सिंह मनोज कुमार सिंह पिता- स्व० कृष्ण कुमार सिंह	उ०-520 द०-520 पु०-517 प०-521
6	26	521	गौतम साहु वगै०	बाग आम टाँड दो	0.086	जगतु सिंह वो महावीर साहु वो राम साहु वो लक्ष्मण साहु पेशारान स्व० गौतम साहु वो सुदर्शन	उ०-522 द०-521 पु०-522 प०-522

7	26	522	गौतम साहु वगै०	टाड़ दो	0.152	साहु पिता- स्व० अर्जुन साहु	उ०-522 द०-522 पु०-521 प०-526
8	34	523	गन्दरा वल्द राम उरांव पेशरान भुखा उरांव	दोन तीन	0.009	विशुवा उरांव	उ०-523 द०-526 पु०-526 प०-524
9	34	524	गन्दरा वल्द राम उरांव पेशरान भुखा उरांव	टाड़ दो	0.078	बलकु उरांव पिता- लाखाव उरांव	उ०-524 द०-526 पु०-526 प०-525
10	34	525	गन्दरा वल्द राम उरांव पेशरान भुखा उरांव	टाड़ दो	0.040	बुधुवा कच्छप पिता- स्व० भुरंगा उरांव	उ०-525 द०-525 पु०-524 प०-529
11	34	526	गन्दरा वल्द राम उरांव पेशरान भुखा उरांव	टाड़ दो	0.049	रधु उराव वो बंधना उराव पिता- स्व० दशरथ उरांव	उ०-524 द०-526 पु०-522 प०-524
12	91	529	लंगडा उराव वो गुम्दा उरावे तुरिया उराव वो	टाड़ एक	0.054	रिशा उराव पिता- सव० लगडा उराव वो बुधुवा उराव पिता- स्व० तुरिया उराव वगैरह	उ०-529 द०-529 पु०-525 प०-530
13	91	530	लोहरा उराव पेशरान लाल उराव वगैरह	टाड़ एक	0.050	रिशा उराव पिता- सव० लगडा उराव वो बुधुवा उराव पिता- स्व० तुरिया उराव वगैरह	उ०-530 द०-530 पु०-529 प०-531
14	86	531	भोकरे उराव वो तुरिया उराव वो सतारी उराव वो गाजी उराव पेशरान पेशा उराव वगैरह	टाड़ एक	0.046	भासे उराव पिता- गन्दुर उराव वो विसुन उराव पिता- सोमा उराव	उ०-531 द०-531 पु०-530 प०-532
15	86	532	भोकरे उराव वो तुरिया उराव वो सतारी उराव वो गाजी उराव पेशरान पेशा उराव वगैरह	खलिहान	0.026	भासे उराव पिता- गन्दुर उराव वो विसुन उराव पिता- सोमा उराव	उ०-532 द०-531 पु०-531 प०-534
16	15	534	मेडगो उराव वो गन्दुरा उराव पेशरान महली उरांव	खलिहान	0.037	मेडगो उराव वगैरह	उ०-533 द०-534 पु०-532 प०-533
17	103	621	रमन तेली पिता- स्व० चुटिया तेली	टाड़ दो	0.178	देवनाथ साहु पिता- स्व० धनेश्वर साहु	उ०-621 द०-521 पु०-533 प०-543
18	88	643	छोटा महली उराव वो लखना उराव पेशरान तुरिया उराव वगैरह	टाड़ दो	0.052	छोटा महली उराव वो लखना उराव पेशरान तुरिया उराव वगैरह	उ०-644 द०-643 पु०-621 प०-644

19	86	644	भोकरे उराव वो तुरिया उराव वो सतारी उराव वो गाजी उराव पेशरान पेशा उराव वगैरह	टाड़ दो	0.118	भादे उराव पिता- स्व0 गन्दुर उराव वो विशुन उराव पिता- स्व0 सोमा उराव वो भोकरे उराव वगैरह	उ0-644 द0-643 पु0-643 प0-647
20	99	647	नन्द तेली वो चरकु तेली पेशरान सोहर तेल	टाड़ दो	0.106	कुवर साहु पिता- करमदयाल साहु वो राजकपुर साहु वो धोनी साहु पेशरान स्व0 रंजित साहु वो सुधांशु साहु पिता- स्व0 रामवृत् साह	उ0-647 द0-647 पु0-644 प0-648
21	86	648	भोकरे उराव वो तुरिया उराव वो सतारी उराव वो गाजी उराव पेशरान पेशा उराव वगैरह	टाड़ दो	0.108	सुकरा उराव वो गन्दुर उराव वगैरह इस प्लॉट का बदलन का वर्तमान समय में दखलकर रैयत का नाम सुदर्शन साहु पिता- स्व0 अर्जुन साहु वो रविन्द्र साहु वो देवेन्द्र साहु पेशरान स्व0 लक्ष्मण साहु	उ0-648 द0-649 पु0-647 प0-652
22	76	649	झडुवा उराव वल्द सुकरा उराव वो झिरगा उराव पेशरान बलकु उराव	टाड़ दो	0.015	याकुब वो सुकरा वो झिरगा उराव वगैरह	उ0-648 द0-652 पु0-649 प0-648
23	32	652	सिद्धनाथ सिंह	टाड़ दो	0.105	हरि साहु वो रामचन्द्र साहु वो सुरेश साहु वो महेन्द्र साहु पिता- स्व0 देवचरण साहु वो मलार साहु वो भुनेश्वर साहु वो छोटन साहु पेशरान स्व0 रमेश साहु वो लोहरा साहु वगैरह पेशरान स्व0 लेदवा साहु	उ0-648 द0-662 पु0-652 प0-652
24	32	662	शिवनाथ साय वगैरह	टाड़ दो	0.104		उ0-652 द0-663 पु0-662 प0-662
25	72	664	गौतम साहु वगै0	टाड़ एक	0.167		उ0-663 द0-663 पु0-664 प0-664
26	27	668	डोमन तेली वल्द मोहर तेली	टाड़ एक	0.008	जगतु साहु वो महावीर साहु वो राम साहु वो लक्ष्मण साहु पेशरान स्व0 गौतम साहु वो सुदर्शन साहु पिता- स्व0 अर्जुन साह	उ0-663 द0-664 पु0-663 प0-668
27	70	874	जीरात	टाड़ दो	0.549	महावीर साहु वो अकलु साहु पेशरान केश्वर साहु वो दिनेश साहु पिता- स्व बंधन साहु वो कुवर साहु पिता- स्व0 करम दयाल साहु वो सुधांशु साहु पेशरान स्व रामवृत् साहु वो राजकपुर साहु वो धोनी साहे पेशरान स्व0 रंजित साहु मधु साहु स्व0 शिवा साहु	उ0-663 द0-872 पु0-874 प0-874
28	70	872	जीरात	टाड़ दो	0.126		उ0-874 द0-846 पु0-872 प0-872

29	50	512	सिद्धनाथ सिंह	टाड़ दो	0.024	दिलीप सिंह वगैरह पिता— जितवाहन सिंह	उ0-518 द0-517 पु0-518 प0-518
30	20	831	सुरज नाथ सिंह वलद दलु सिंह	टाड़ दो	0.008	कमल सिंह वो महबल सिंह वगैरह	उ0-रास्ता द0-831 पु0-रास्ता प0-831
				कुल:-	2.958		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/ नक्शा का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते हैं।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



उपायुक्त,
खूँटी।